

l f'pdkLr l f'pdkvka dh l vph&2014

ekp&2014

f' k{k k foHkkx

de l 0	l f'pdk l a[; k	fo" k;	l f'pdkLr dh frfFk	vfire vkn's k
1.	02/लोक(शिक्षा)16/12	सेवानिवृत्त पश्चात भी बकाया वेतन भुगतान नहीं होने के संबंध में श्री सत्यदेव तिवारी, डालटनगंज का परिवाद ।	11.03.2014	परिवादी द्वारा अपना परिवाद वापसी के प्रार्थना को माननीय लोकायुक्त द्वारा स्वीकारते हुए परिवाद को बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(शिक्षा)09/12	उत्कर्मित मध्य विद्यालय, मेरमगड्डा, चतरा में सामुदायिक शिक्षक के पद पर पुनः नियुक्ति के लिए श्री संजय कुमार की शिकायत ।	10.03.2014	उपायुक्त चतरा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी का विद्यालय से निसकासन नियमतः किया गया है तथा उनके स्थान पर नियमानुसार नये शिक्षक की बहाली कर ली गई है । इस प्रकार उनका पुनः नियुक्ति नहीं किया जा सकता है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

jktLo , oa Hkafie l qkkj foHkkx

de l 0	l f'pdk l a[; k	fo" k;	l f'pdkLr dh frfFk	vfire vkn's k
1.	01/लोक(राजस्व)14/13	सदर अंचलाधिकारी, हजारीबाग द्वारा अवैद्य पंजी-11 तैयार करने तथा रसीद निर्गत नहीं करने के संबंध में चित्तरंजन प्रसाद गुप्ता हजारीबाग का शिकायत ।	28.03.2014	उपायुक्त हजारीबाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के आरोप सही नहीं पाया गया तथा परिवादी के केस में उपायुक्त द्वारा समुचित आदेश पारित किया जा चुका है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।
2.	01/लोक(राजस्व)02/12	मो0 मजीद अंसारी, जिला परिषद सदस्य (कांके मध्य 15) द्वारा पिठोरिया क्षेत्र के गरीबों पर शोषण एवं अत्याचार के संबंध में फहीम अख्तर का पिठोरिया का शिकायत ।	10.03.2014	उपायुक्त राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।

3.	02/लोक(राजस्व)03/13	अंचलाधिकारी सदर चाईबासा द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई नहीं करने के संबंध में श्री मनीष कुमार चौबे, चाईबासा का परिवाद ।	03.03.2014	अपर उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के द्वारा समर्पित कागजातों के अनुसार परिवादी के दाखिल खारिज के संबंधित मामले का निपटारा कर दिया गया है। परिवादी को मामले संबंधित आदेश के विरुद्ध अन्य अनुतोष का लभ प्राप्त है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
----	---------------------	---	------------	---

xkfe.k fodkl foHkkx

दॆ । ०	। f̄pdk । ३; k	fo"K;	। f̄pdkLr dh frffk	vfire vkn's k
1.	02/लोक(ग्रा.वि.)24/12	दैनिक भत्ता एवं यात्रा भत्ता संतोषजनक नहीं मिलने पर श्रीमती रविता देवी, धनबाद का शिकायत ।	25.03.2014	उपायुक्त धनबाद से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी को उनके वैधानिक देय पावनाओं का भुगतान विभाग द्वारा कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वार बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(ग्रा.वि.)40/12	बरही प्रखण्ड अन्तर्गत करियात पुर पंचायत में दीनदयाल आवास योजना में सरकारी राशि का बंदरबांट करने के संबंध में गुलाम मुस्तफा अंसारी बरही का परिवाद ।	25.03.2014	उपायुक्त हजारीबाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी द्वारा लगाये आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।

। gdkfj rk foHkkx

दॆ । ०	। f̄pdk । ३; k	fo"K;	। f̄pdkLr dh frffk	vfire vkn's k
1.	02/लोक(सह0)05/12	श्री ब्रजनंदन सिंह सेवानिवृत्त सहकारिता प्रसार पदाधिकारी , जमशेदपुर अंचल के ए.सी.पी.लाभ के बकाये राशि के भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में ।	18.03.2014	संबंधित विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतव्य के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवादी के परिवाद निराकरण के पश्चात् परिवाद को बंद कर दिया गया ।

LokLF; foHkkx

de l 0	l fipdk l a; k	fo"K;	l fipdkLr dh frffk	vfire vkn's k
1.	02/लोक(स्वा0)02/13	श्रीमती हेलेन तिर्की, सेवानिवृत्त ए.एन.एम. भंडरिया गढ़वा रेफरल अस्पताल भंडरिया को सेवान्त लाभ नहीं प्राप्त होने के संबंध में परिवाद ।	03.03.2014	निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड से प्राप्त प्रतिवेदन तथा सिविल सर्जन गढ़वा से प्राप्त कृत कार्रवाई प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी के परिवाद का निरकरण हो जाने के पश्चात माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।

l fyl foHkkx

de l 0	l fipdk l a; k	fo"K;	l fipdkLr dh frffk	vfire vkn's k
1.	02/लोक(पुलिस)15/12	दशरथ महतो के द्वारा धोखाधड़ी पूर्वक फर्जी कागजात का इस्तमाल कर झारखण्ड पुलिस में नौकरी करने के संबंध में महादेव महतो का परिवाद ।	04.03.2014	लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तृतीय अनुसूची के खण्ड 8 के अनुसार परिवाद पोषणीय नहीं है । अतः परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
2.	02/लोक(पुलिस)04/12	गोलमुरी थाना के पुलिस पदाधिकारी के संबंध में श्री किशोर कुमार देशमुख का परिवाद ।	28.03.2014	वरीय पुलिस अधीक्षक जमशेदपुर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवाद जमीन से संबंधित है तथा मामला सक्षम न्यायालय में लंबित है । उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिदया गया ।

x'g foHkkx

de l 0	l f'pdk l a'; k	fo"k;	l f'pdkLr dh frffk	vfire vkn's k
1.	01/लोक(गृह)06/2012	श्री सुधीर कुमार वर्मा, अग्निशामालय पदाधिकारी द्वारा किये गये रिवाइड घोटाले की जांच कराने के संबंध में श्री वैद्यनाथ, अध्यक्ष, राँची महानगर बहुजन समाज पार्टी, राँची का परिवाद ।	24.03.2014	संबंधित विभाग द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के अनुसार आरोपि के विरुद्ध विभाग द्वारा उचित कार्रवाई किया जा चुका है जिससे परिवादी भी संतुष्ट है। अतः वाद पर अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। अतः वाद का माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

fl pkbz foHkkx

de l 0	l f'pdk l a'; k	fo"k;	l f'pdkLr dh frffk	vfire vkn's k
1.	01/लोक(सिंचाई)01/2012	अवधेश कुमार सिन्हा कार्यपालक अभियंता सिंचाई विभाग बरही झारखण्ड का आय से अधिक अर्जित सम्पत्ति की जांच के संबंध में श्री महाबीर प्रसाद सिन्हा, वरीय नागरिकए गया का परिवाद ।	20.03.2014	पुलिस उपमहानिरीक्षक, निगरानी ब्यूरो से प्राप्त कृत कार्रवाई प्रतिवेदन के अनुसार विस्तृत जांचोपरान्त आरोपी लोकसेवक के विरुद्ध केस सं0 36/2013 तथा 37/2013 कर कार्रवाई की जा रही है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

vkokl foHkkx

de l 0	l f'pdk l a'; k	fo"k;	l f'pdkLr dh frffk	vfire vkn's k
1.	02/लोक(आवास)01/2011	कैंडर विभाजन के तहत झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड (मुख्यालय) राँची में स्थानान्तरित कमिर्यो के गलत एवं अनियमित वेतन भुगतान के संबंध में श्री रामनरेश चौधरी हरमू राँची का परिवाद ।	24.03.2014	वित्त विभाग द्वारा गठित जांच समिति के जांच प्रतिवेदन के अनुसार किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाये जाने के आलेक में वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

fo | r foHkkx

de l 0	l fpdk l a ; k	fo"k;	l fpdkLr dh frffk	vfire vkns k
1.	02/लोक(विद्युत)05/13	चालु मिटर को बंद दिखाकर फिक्स बिजली बिल भेजने के संबंध में वासुदेव दास गुमला का शिकायत ।	25.03.2014	प्रबंधक सह मुख्य अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के परिवाद का निराकरण कर पुनरीक्षित बिजली बिल निर्गत कर दिया गया है । उक्त के आलोक में वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	01/लोक(विद्युत)01/13	टेंडर आवंटन में भ्रष्टाचार करने के संबंध में श्री केदार नाथ लाल, राँची का परिवाद ।	25.03.2014	प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग झारखण्ड सरकार , राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के द्वारा लगाये गये आरोप निराधार है तथा गलत व्यवसायिक हित की साधना नहीं होने पर दूर्भावना से किया गया है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

fofo/k foHkkx

de l 0	l fpdk l a ; k	fo"k;	l fpdkLr dh frffk	vfire vkns k
1.	02/लोक(विविध)06/13	श्रीमती श्रद्धा दास (2006 की इंडियन आईडल) जमशेदपुर को अपने पति एवं पिता के द्वारा कैद कर प्रताड़ित करने के संबंध में ।	25.03.2014	उपायुक्त जमशेदपुर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी बिना सहमति के किसी अन्य व्यक्ति पविाद दाखिल किया गया था, तथा वह अपने पति के साथ रह रही है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

f' kdk; r

de l 0	l f'pdk l q; k	fo" k;	l f'pdkLr dh frffk	vfire vkn's k
1.	शिकायत सं.648/13	श्री महेश प्रसाद, अवर सचिव श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड को उप सचिव में प्रोन्नति नहीं दिये जाने के संबंध में शिकायत ।	28.03.2014	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के परिवाद विभाग में विचाराधीन है । उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।
2.	शिकायत सं. 137/14	प्रखण्ड बरवाडीह, लातेहार में BTT/DRP श्री विनोद प्रसाद सिंह एवं श्रीमती शन्ति देवी पर दोष सिद्धी के उपरान्त भी कार्रवाई नहीं होने के संबंध में श्री सुशील प्रसाद का शिकायत ।	18.03.2014	परिवाद पत्र से स्पष्ट है कि लोकसेवक के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। जहां तक सूचना अधिकार के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से संबंधित परिवाद का निरकरण स्वयं सूचना के अधिकार कानून में मे ही निहित है । अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
3.	शिकायत सं. 134/14	श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह, प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक कर्मा का स्थानान्तरण BMP पद पर अनगड़ा में करने के संबंध में श्री राजेश्वरी प्रसाद सिंह बरियातु राँची का शिकायत ।	18.03.2014	शिकायत स्थानान्तरण से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आते है। अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
4.	शिकायत सं. 101/14	बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा में कैदी मुख्तार आलम का आत्म हत्या/ हत्या के संबंध में श्री रंजित कुमार राय, राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ता हिन्, राँची का शिकायत ।	10.03.2014	शिकायत कर्ता को अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है। अतः शिकायत पत्र पर अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
5.	शिकायत सं 56/14	श्री मृत्युंजय झा सेवानिवृत्त लिपिक, समाहरणालय संवर्ग, गोड्डा का सेवान्त लाभ नहीं मिलने के संबंध में शिकायत ।	10.03.2014	पूर्व में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित आदेश पारित किया जा चुका है। अतः शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत

				पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
6.	शिकायत सं. 46/14	शाखा प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक पतना साहेबगंज द्वारा PMRY में घूस लेकर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में अखिलेश प्रसाद, साहेबगंज का शिकायत ।	19.03.2014	शिकायत शाखा प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक के विरुद्ध किया गया है जो केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है । अतः शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत की प्रति बैंकिंग लोकपाल को प्रेषित करते हुए बंद कर दिया गया ।
7.	शिकायत सं0 524/13	सिविल सर्जन कार्यालय धनबाद में कार्यरत किरानी संजू कुमार द्वारा घूस लेकर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में गणेश सोरेन का परिवाद ।	27.03.2014	शिकायतकर्ता द्वारा पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
8.	शिकायत सं. 650/2013	पान दुकान चौक, आदित्यपुर, सरारयकेला खरसांवा /जमशेदपुर पर श्री रकेश कुमार पासवान को IOCL द्वारा जाली दस्तावेज के आधार पर पेट्रोल पंप आवंटित करने के संबंध में श्री निखिल सिंह जमशेदपुर का शिकायत ।	19.03.2014	IOCL केन्द्र सरकार के तहत सर्वाजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत नहीं आता है । अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा पोषणीय नहीं रहने के कारण बंद कर दिया गया ।
9.	शिकायत सं.427/2013	डा0 सुबोध कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ हिनू राँची का गलत पदस्थापन एवं निजी चिकित्सालय चलाने के संबंध में डॉ0 एस. कुमार, हिनू राँची का शिकायत ।	13.03.2014	शिकायतकर्ता द्वारा पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
10.	शिकायत सं. 439/13	संयुक्त निदेशक राष्ट्रीय बचत निदेशालय झारखण्ड राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती जयश्री द्वारा भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के संबंध में श्री प्रिंस कुमार हजारीबाग का परिवाद ।	14.03.2014	शिकायतकर्ता द्वारा पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
11.	शिकायत सं. 03/14	प्राईवेट चिटफंड कंपनी द्वारा धोखाधड़ी करने के संबंध में श्री महेन्द्र कुमार, जुगसलाई, जमशेदपुर का शिकायत	19.03.2014	शिकायत प्राईवेट चिटफंड कंपनी के विरुद्ध किया गया है जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
12.	शिकायत सं. 62/14	श्री कुमार धनंजय , देवघर को SBI मधुपुर , देवघर के शाखा प्रबंधक के द्वारा ऋण आवेदन के संदर्भ में	14.03.2014	शिकायत शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक के विरुद्ध किया गया है जो केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आता

		आर.टी.आई. के अन्तर्गत पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करवाने के संबंध में ।		है । अतः शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को बंद कर दिया गया ।
13.	शिकायत सं० 639/2013	सिविल सर्जन खूँटी द्वारा, गंभीर अनियमितता (वित्तीय) के आरोपी श्री राजेश कुमार दुबे प्रखण्ड लेखा प्रबंधक को पुनः अनुबंध पर नियुक्त करने के संबंध में श्री अमित लाल, पिपरा टोली, खूँटी का शिकायत ।	27.03.2014	शिकायत कर्ता को शिकायत पत्र की त्रुटी निराकरण हेतु प्रेषित पत्र, पता नहीं मिलने के कारण वापसी से प्रतीत होता है कि शिकायत छद्म नामी है । अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
14.	शिकायत सं. 04/13	ट्रेक्टर मालिक संघ के द्वारा श्री ब्रह्मदेव चौधरी आफिसर इन्चार्ज, मझियान थाना, जामताड़ा के विरुद्ध ट्रेक्टर चलाने के एएवज में घूस मांगने के संबंध में श्री अनिल राउत जामताड़ा का शिकायत ।	31.03.2014	शिकायतकर्ता द्वारा पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
15.	शिकायत सं. 163/14	कोडरमा थाना काण्ड सं. 18/14 पर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने के संबंध में श्री रंजीत पासवान कोडरमा का शिकायत ।	27.03.2014	शिकायत पत्र से स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा सन्हा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है अतः वाद में किसी प्रकार का हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
16.	शिकायत सं. 161/14	दहेज प्रताड़ना के विरुद्ध हरला थाना में दर्ज सन्हा 21/14 पर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने के संबंध में श्रीमती अम्बुज कुमारी बन्दना, पूर्वी चम्पारण का शिकायत ।	27.03.2014	शिकायत पत्र से स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा सन्हा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है अतः वाद में किसी प्रकार का हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
17.	शिकायत सं. 64/14	बालीडीह थाना काण्ड सं० 112/13 के द्वारा श्री चन्दन कुमार साह व उनके परिजनों को झूठे केस में फंसाने तथा इस पर पुलिस द्वारा समुचित कार्रवाई नहीं करने के संबंध में श्री चन्दन कुमार साह का शिकायत ।	10.03.2014	शिकायत पत्र से स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा सन्हा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है तथा मामला न्यायालय में लंबित है। उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
18.	शिकायत सं. 130/14	मो० ननकी देवी को डायन बताकर प्रताड़ित करने व उनकी संपत्ति को जबरन हड़पने के संबंध में शिकायत ।	28.03.2014	सक्षम न्यायालय द्वारा परिवादीनी के परिवाद को सनहा दर्ज करने हेतु भेज दिया गया है। अतः शिकायत पर अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। उक्त के आलोक में शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।

19.	शिकायत सं. 151/14	धनबाद भूली थाना काण्ड सं० 1147/13 के अभियुक्त द्वारा परिवादी श्री मिथलेश पासवान को केस उठाने की धमकी देने के संबंध में शिकायत ।	18.03.2014	शिकायत पत्र से स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा सन्हा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है अतः वाद में किसी प्रकार का हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
20.	शिकायत सं. 82/14	गोचर भूमि के अतिक्रमण के संबंध में अब्दुल रज्जाक, मधुपुर का शिकायत ।	18.03.2014	शिकायत एक साथ कई प्राधिकारों को प्रेषित किया गया है, शिकायत पर किसी प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
21.	शिकायत सं. 54/2014	गोचर भूमि के अतिक्रमण के संबंध में हकीम मियाँ, मधुपुर का शिकायत ।	10.03.2014	परिवाद के संबंध में परिवादी को अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है एवं उन्हें इसका लाभ प्राप्त करना चाहिए । अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
22.	शिकायत सं.47/14	जमीन को जालसाजी कर जबरदस्ती हड़पने के संबंध में श्री राज कुमार तांती साहेबगंज का शिकायत ।	05.03.2014	शिकायत दो लोगों का निजी मामला है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
23.	शिकायत सं.419/13	कार्यपालक अभियंता, त्रिभुवन बैठा, सहायक अभियंता धर्मनाथ राम एवं रोकड़पाल ब्रजेश कुमार, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल खूँटी द्वारा राजस्व का नुकसान करने के संबंध में सरफराज अहमद, खूँटी का शिकायत ।	03.03.2014	शिकायत कर्ता को शिकायत पत्र की त्रुटी निराकरण हेतु प्रेषित पत्र, पता नहीं मिलने के कारण वापसी से प्रतीत होता है कि शिकायत छद्म नामी है । अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
24.	शिकायत सं. 135/14	प्रीतम देव तत्कालीन शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय रोन्धिया, दुमका पर फर्जी प्रमाण पत्रों के अधार पर नियुक्ति पाने के आरोप के संबंध में मनोज कुमार, बांका का शिकायत ।	25.03.2014	शिकायत पत्र से स्पष्ट है कि लोक सेवक श्री प्रीतम देव मंडल सेवा निवृत्त हो चुके है अतः परिवाद काफी विलंब से किया गया है। उक्त के आलोक में शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
25.	शिकायत सं. 96/14	नगर पंचायत हुसैनाबाद द्वारा जमीन को कब्जा करने तथा सरकारी निर्माण करने के संबंध में श्री रामाश्रय सिंह का परिवादक ।	27.03.2014	शिकायत सक्षम न्यायालय में पूर्व से ही लंबित है अतः शिकायत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
26.	शिकायत सं. 584/13	निदेशक राष्ट्रीय बागवानी मिशन झारखण्ड राँची	20.03.2014	लोकायुक्त कार्यालय के अलावे शिकायत पत्र एक

		द्वारा हल्दी एवं अन्य बीज को दुगुनी कीमत पर स्वयं सेवी संस्थाओं को आपूर्ति कर भुगतान करने के संबंध में श्री रमेश हेम्रम, चाईबासा का शिकायत ।		साथ कई प्राधिकारों को बिना किसी साक्ष्य के दिया गया । अतः शिकायत पत्र पर किसी कार्यवाई की आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार शिकायत पत्र को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
27.	शिकायत सं. 131/14	श्री राम प्रसाद यादव की पैतृक जमीन को भू माफिया द्वाा हड़पने व उक्त संदर्भ में पुलिस द्वारा समुचित कार्रवाई नहीं करने के संबंध में ।	13.03.2014	शिकायत सक्षम न्यायालय में पूर्व से ही लंबित है अतः शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
28.	शिकायत सं. 508/13	पथ निर्माण विभाग पथ अंचल राँची के कनीय अभियंता, सहायक अभियंता व कार्यपालक अभियंता की मिली भगत से वित्तीय अनियमितता व आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के संबंध में श्री लाल बहादुर सा. ओरमांझी, राँची का शिकायत ।	20.03.2014	शिकायत कर्ता को शिकायत पत्र की त्रुटी निराकरण हेतु प्रेषित पत्र, पता नहीं मिलने के कारण वापसी से प्रतीत होता है कि शिकायत छद्म नामी है । अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
29.	शिकायत सं. 58/14	चुटिया थाना काण्ड सं. 113/2013 पर अन्वेषण पदाधिकारी व सुपर विजन पदाधिकारी द्वारा समुचित कार्रवाई नहीं करने के संबंध में श्री अर्जुन नरायण देव, डोरण्डा का शिकायत ।	19.03.2014	शिकायत पत्र वरीय पुलिस अधीक्षक राँची को संबोधित है तथा प्रतिलिपि लोकायुक्त कार्यालय के साथ साथ अन्य प्राधिकारों को दिया गया है जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । अतः शिकायत पत्र को माननीय लोकायुक्त के खारिज कर दिया गया ।
30.	शिकायत सं. 150/14	श्रीमती मुन्नी देवी के साथ छेड़-छाड़ व लूट-पाट की घटना घटित होने तथा सांरवा थाना प्रभारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं किये जाने के संबंध में शिकायत ।	18.03.2014	परिवादीनी के परिवाद माननीय न्यायालय के आदेश व दिशा निर्देश के अनुपालन नहीं हाने से है । अतः परिवादीनी को इस संबंध में अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है। इस प्रकार शिकायत लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । अतः शिकायत पत्र को माननीय लोकायुक्त के खारिज कर दिया गया ।
31.	शिकायत सं. 153/14	श्रीमती सरिता देवी के साथ मार पीट होने व इस संबंध में पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के संबंध में शिकायत ।	27.03.2014	परिवादीनी को अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है तथा उन्हें अन्य सक्षम प्राधिकार के समक्ष आवेदन देना चाहिए । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को बंद कर दिया गया ।

32.	शिकायत सं. 552/13	श्री रामानन्द सिंह कार्यपालक अभियंता के द्वारा भ्रष्टाचार के तहत अरबों की सम्पति अर्जित करने के संबंध में श्री सुरेन्द्र गुप्ता, हिन्, राँची का परिवाद ।	20.03.2014	शिकायत कर्ता को शिकायत पत्र की त्रुटी निराकरण हेतु प्रेषित पत्र, पता नहीं मिलने के कारण वापसी से प्रतीत होता है कि शिकायत छद्म नामी है । अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
33.	शिकायत सं. 167/13	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी जमशेदपुर-2 द्वारा भ्रष्टाचार व आय से अधिक संपति अर्जित करने के संबंध में श्री कमलेश कुमार समाज सेवी का शिकायत ।	19.03.2014	शिकायतकर्ता द्वारा पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
34.	शिकायत सं. 94/14	माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में बकाया राशि के भुगतान नहीं करने के संबंध में श्री अयोध्या प्रसाद सिन्हा, डालटेनगंज का शिकायत ।	18.03.2014	शिकायत से संबंधित शिकायतकर्ता को अन्य वैधानिक उपचार प्राप्त है। अतः शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
35.	शिकायत सं. 116/14	गिरीडिह के संस्कृत विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति में अनियमितता के संबंध में श्री दसरथ पाण्डेय, राजधनवार का शिकायत ।	27.03.2014	शिकायत नियुक्ति से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत नहीं आता है अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
36.	शिकायत सं. 38/14	सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराने तथा तंग करने के संबंध में सुनील कुमार दास गुमला का शिकायत ।	04.03.2014	सूचना अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित इस शिकायत का निराकरण स्वयं इस अधिनियम में निहित है। अतः शिकायत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
37.	शिकायत सं. 527/13	छठा वेतन पुनरिक्षण के आलोक में बकाये राशि का भुगतान अप्राप्त रहने के संबंध में श्री जहाँगीर खाँ सिमडेगा का परिवाद ।	27.03.2014	शिकायतकर्ता द्वारा पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।